संख्या-21/2026/I/1281929/2026/16 1099 95 2020

प्रेषक,

बाबू राम वर्मा
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उ0प्र0,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक- 27-03-2026**

विषयः- राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज की स्थापना/निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सं०-78496/ई-प्लान-भवन-इंजी0का0कन्नौज, दिनांक-23.01.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज की स्थापना/निर्माण हेतु परियोजना में अब तक निर्गत धनराशि के सापेक्ष निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित अन्य अभिलेख प्रति हस्ताक्षरित कर प्रेषित करते हुए अवशेष धनराशि निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अवगत कराना है कि राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज की स्थापना/निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-2512/सोलह-1-2013-14(28)/2012 टी0सी0-1 दिनांक 01.10.2013 द्वारा अनुमोदित लागत रू0 5974.00 लाख को शासनादेश संख्या-32/2021/68591/2021/16-1099/95/2020 दिनांक 07.06.2021 द्वारा पुनरीक्षित करते हुए **रू0 12642.82 लाख** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त परियोजना के कार्यों पर व्यय हेतु विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अब तक कुल रू0 10898.80 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजी मद में अन्य परियोजनाओं हेतु आवंटित बजट में से बचत की धनराशि को राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज की स्थापना/निर्माण संबंधी परियोजना हेतु अनुदान संख्या- 83 (पूंजी मद) के संगत लेखाशीर्ष में (संलग्न **बी0एम0-9** (पुनर्विनियोग आदेश संख्या: **RE-budget-1-733-E-11-621-X-2025-26- दिनांक: 27-03-2026** के अनुसार) अतिरिक्त धनराशि रू0 250.00 लाख (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :–

(1) परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-2512/सोलह-1-2013-14(28)/2012 टी0सी0-1 दिनांक 01.10.2013 एवं शासनादेश संख्या 32/2021/68591/2021/16-1099/95/2020 दिनांक 07.06.2021 द्वारा निर्गत प्रशासकीय स्वीकृति की शर्तें यथावत रहेंगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(4) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत शासकीय धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाएगा और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही कोषागार से किया जाये। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तिर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाये। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये।

(7) परियोजना में नियमानुसार यथावश्यक समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस/वन विभाग की अनापत्ति सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(8) प्रायोजना का कार्य अनुमोदन लागत में ही यथाशीघ्र पूर्ण कराये जाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में योजना का कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

(9) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संस्थान/कार्यदायी संस्था की होगी तथा वह यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये।

(10) प्रायोजना अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृति है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(11) यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजना के कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जाय।

(12) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन है कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाए।

(13) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाएगा।
(14) स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व आहरण वितरण अधिकारी का होगा।
(15) जिस मद में पुनर्विनयोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जाएगी।
(16) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
(17) पुनर्विनयोग मात्र बजट की उपलब्धता हेतु सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसका निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र०/ आहरण वितरण अधिकारी वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।
(18) पुनर्विनयोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट हेतु आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
(19) प्रश्नगत पुनर्विनयोग की धनराशि उसी कार्य/मद में व्यय किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
(20) यह भी सुनिश्चित किया जाये कि पुनर्विनयोग से उ०प्र० बजट मैनुअल के सुसंगत प्रस्तरों में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नही हो।
(21) पुनर्विनयोग की जा रही धनराशि की बजट उपलब्धता की जिम्मेदारी निदेशक प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 एवं निदेशक संस्थान की होगी।
(22) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 27.03.2025 एवं अन्यस सुसंगत शासनादेशों में दी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(23) सभी संगत नियमों/मानकों का अनुपालन निदेशक संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,50,00,000 (रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 4202027890900 इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

बाबू राम वर्मा
अनु सचिव ।

संख्या-21/2026/I/1281929/2026/16 1099 95 2020, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) निदेशक/वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
(4)जिलाधिकारी, कन्नौज।
(5) कोषाधिकारी, कानपुर/कन्नौज।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(7) परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, कन्नौज।
(8) निदेशक/वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
(9) निदेशक, राजकीय इंजीनियिरंग कालेज, कन्नौज।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(11) समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
(12) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

बाबू राम वर्मा
अनु सचिव

http://

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A016-20252026-16 1099 95 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजी मद में आवंटित बजट(अनुदान संख्या-83) में से बचत की धनराशि को राजकीय इंजीनियरिंग कालेज कन्नौज को पूंजीमद में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से किये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	4202027890400 (इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	12,10,00,000 रुपये बारह करोड़ दस लाख मात्र	10,80,15,000 रुपये दस करोड़ अस्सी लाख पन्द्रह हजार मात्र	2,50,00,000 रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र	2,50,00,000 रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र	9,60,00,000 रुपये नौ करोड़ साठ लाख मात्र	2025 - 2026
कुल					₹ 2,50,00,000	₹ 2,50,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	4202027890900 (इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	2,50,00,000 रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र	2,50,00,000 रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र	4,50,00,000 रुपये चार करोड़ पचास लाख मात्र	2025-2026
कुल				₹ 2,50,00,000	₹ 2,50,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) स्तम्भ-5 में उपलब्ध बचत धनराशि अवमुक्त न होने के कारण है।

(2) स्तम्भ-12 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-13 में अंकित अधिक व्यय के कारण है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: RE-budget-1-733-E-11-621-X-2025-26- दिनांक: 27-03-2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उ0प्र0, प्रयागराज

बाबू राम वर्मा
अनु सचिव

सुनील कुमार सरोज
अनु सचिव

संख्या : I/1281932/2026/16-1099/95/2020 दिनांक- 27-03-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उ0प्र0, कानपुर।
2. संबंधित कोषाधिकारी (द्वारा निदेशक)।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. नोडल अधिकारी, बजट अलॉटमेंट सिस्टशम, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
6. वित्त (व्य्य नियंत्रण) अनुभाग-11(तीन प्रतियों में)
7. वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 कानपुर ।

आज्ञा से,

बाबू राम वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।